

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1629
01 अगस्त, 2024 को उत्तर देने के लिए

ऑपरेशन ग्रीन्स

1629. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत लाभान्वित हुए कुल किसानों की संख्या का आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) केन्द्रित परियोजनाओं/पहलों का ब्यौरा क्या है तथा इनके मूल्यों पर इसके प्रभाव का आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत चिन्हित टीओपी तथा 22 अन्य शीघ्र खराब होने वाली फसलों के मूल्य निर्धारण के लिए आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट दीर्घावधि तथा अल्पावधि घटकों के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स के क्रियान्वयन के लिए आवंटित तथा उपयोग की गई कुल निधि का आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)**

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2018-19 से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना - "ऑपरेशन ग्रीन्स" (ओजी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों की मूल्य प्राप्ति को बढ़ाना और फसलोत्तर नुकसान को कम करना है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के दो घटक हैं:

1. दीर्घकालिक हस्तक्षेप
2. अल्पकालिक हस्तक्षेप

योजना के दीर्घकालिक हस्तक्षेप के अंतर्गत, देश भर में, अभिज्ञात उत्पादन क्लस्टरों में टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) सहित, पात्र फसलों के लिए 52 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है और इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 3,38,074 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य सहित लाभान्वित होने वाले किसानों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-1** में दी गई है।

योजना के अंतर्गत अल्पावधि हस्तक्षेप के अंतर्गत 866 संस्थाओं को भंडारण और परिवहन के लिए सब्सिडी के रूप में ₹119.04 करोड़ संवितरित किए गए हैं, जिससे 31364 किसानों को लाभ हुआ है। आंध्र प्रदेश राज्य सहित अल्पावधि हस्तक्षेप के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-2** में दी गई है।

(ख) और (ग): ऑपरेशन ग्रीन्स योजना को दीर्घावधि हस्तक्षेप के अंतर्गत तीन फसलों अर्थात् टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) से बढ़ाकर 22 विकारी फसलों तक विस्तारित किया गया है। योजना का दीर्घावधि हस्तक्षेप घटक अभिज्ञात फसलों के लिए खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना सुविधा का निर्माण करना है। दीर्घावधि हस्तक्षेप के अंतर्गत स्वीकृत 52 परियोजनाओं में से 15 परियोजनाएं टीओपी (टमाटर, प्याज और आलू) फसलों के लिए हैं। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना-दीर्घावधि हस्तक्षेप के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का आंध्र प्रदेश सहित फसल-वार-राज्य-वार विवरण **अनुबंध-3** में दिया गया है।

कृषि उत्पादों में अत्यधिक मूल्य अस्थिरता से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार ने वर्ष 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना शुरू की। पीएसएफ योजना उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पीएसएफ के अंतर्गत, बाजार में हस्तक्षेप करने और जमाखोरी और अनैतिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए प्रमुख दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखा गया है। वर्ष 2014-15 से, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए ₹27,489.14 करोड़ की कुल बजट सहायता प्रदान की गई है।

प्याज की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिए, सरकार ने किसानों/एफपीओ/एफपीसी से प्याज खरीदकर पीएसएफ के अंतर्गत प्याज का बफर स्टॉक रखती है, ताकि बाजार में कम आवक वाले महीनों में इसे बाजार में उतारा जा सके। बफर आकार को वर्ष-प्रति-वर्ष 2020-21 में 1.00 एलएमटी से बढ़ाकर 2022-23 में 2.50 एलएमटी और 2024-25 में 5.00 एलएमटी किया गया है। बफर स्टॉक से प्याज को खुदरा बिक्री, ई-नाम नीलामी और थोक बाजारों में थोक बिक्री के माध्यम से जारी किया जाता है।

(घ): ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत राज्य-वार निधि आवंटित नहीं की जाती है। पिछले पांच वर्षों में दीर्घकालिक हस्तक्षेप और अल्पकालिक हस्तक्षेप घटकों के लिए योजना के अंतर्गत निधि आवंटन और निधि उपयोग का विवरण **अनुबंध-4** में दिया गया है।

दिनांक 01.08.2024 को उत्तर के लिए श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी और श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1629 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना-दीर्घकालिक हस्तक्षेप के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण					
सं.	राज्य	जारी	पूर्ण	कुल	लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	16	0	16	77140
2	असम	1	0	1	1800
3	गुजरात	6	2	8	68234
4	हिमाचल प्रदेश	3	0	3	10600
5	कर्नाटक	1	0	1	2000
6	मध्य प्रदेश	2	0	2	3500
7	महाराष्ट्र	10	0	10	155800
8	पंजाब	1	0	1	650
9	राजस्थान	1	0	1	1000
10	तमिलनाडु	4	0	4	2100
11	उत्तर प्रदेश	5	0	5	15250
कुल योग		50	2	52	338074

दिनांक 01.08.2024 को उत्तर के लिए श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी और श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1629 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना-अल्पकालिक हस्तक्षेप का राज्यवार विवरण		
क्रम सं.	राज्य	लाभान्वित किसानों की संख्या
1	असम	1
2	गुजरात	25799
3	मध्य प्रदेश	45
4	महाराष्ट्र	4672
5	पंजाब	491
6	उत्तर प्रदेश	356
कुल		31364

दिनांक 01.08.2024 को उत्तर के लिए श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी और श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1629 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना-दीर्घकालिक हस्तक्षेप के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का फसल-वार राज्य-वार विवरण				
सं.	फसल	जारी	पूर्ण	कुल
1.	आंवला			
	तमिलनाडु	1	0	1
2.	सेब			
	हिमाचल प्रदेश	3	0	3
3.	केला			
	गुजरात	1	0	1
	महाराष्ट्र	1	0	1
	तमिलनाडु	3	0	3
उप योग		5	0	5
4.	लहसुन			
	राजस्थान	1	0	1
5.	अमरूद			
	मध्य प्रदेश	1	0	1
6.	मंडारिन नारंगी			
	महाराष्ट्र	1	0	1
7.	आम			
	आंध्र प्रदेश	3	0	3
	महाराष्ट्र	2	0	2
उप योग		5	0	5
8.	प्याज			
	गुजरात	3	0	3
	महाराष्ट्र	3	0	3
उप योग		6	0	6
9.	आलू			
	गुजरात	2	1	3
	उत्तर प्रदेश	3	0	3
उप योग		5	1	6
10.	टमाटर			
	आंध्र प्रदेश	1	0	1
	गुजरात	0	1	1
	कर्नाटक	1	0	1
उप योग		2	1	3
11।	मिश्रित			
	असम	1	0	1
	मध्य प्रदेश	1	0	1
	महाराष्ट्र	3	0	3
	पंजाब	1	0	1
	उत्तर प्रदेश	2	0	2
उप योग		8	0	8
12.	झींगा			
	आंध्र प्रदेश	12	0	12
कुल योग		50	2	52

अनुबंध-4

दिनांक 01.08.2024 को उत्तर के लिए श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी और श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1629 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

₹ करोड़ में

वित्त वर्ष	आवंटित निधि	उपयोग की गई निधि
2019-20	30.03	2.85
2020-21	38.22	38.21
2021-22	74.50	68.15
2022-23	74.49	71.05
2023-24	160.36	156.21
2024-25 (15.07.2024 तक)	173.40 (बीई)	31.45
कुल	551.00	367.92